दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पीसी-VII/ 18/5461 दिनांक:-11.06.2018

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-162/2018

विषय:-Implementation of recommendations of Seventh Central Pay Commission accepted by the Government-Post Graduate Allowance.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(P&A)I-2017/AL-2 दिनांक 28.05.2018, RBE No. 75/2018, PC-VII No. 104 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है।

उपरोक्त नियम दपूमरे की अधिकारिक वेब-साइट http://www.secr.indianrailways.gov.in एवं CPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त. (2 पृष्ठ)

(प्रदीप मिश्रा)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (एच.आर.डी.)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

E/R No.-162/2018
P/1

PC-VII No. 104
RBE No. 75/2018

No. E(P&A)I-2017/AL-2

New Delhi, dated 28.05.2018.

The General Managers and Principal Financial Advisers,
All Indian Railways & Production Units.

Sub: Implementation of recommendations of Seventh Central Pay Commission accepted by the Government – Post Graduate Allowance.

*****

Consequent upon the decisions taken by the Government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to revision of allowances, the President is pleased to decide that Medical Officers will be granted Post Graduate Allowance as detailed below:

Post Graduate Allowance

S. No.	Category	Revised Rates
1.	Railway Doctors up to the level of non-functional selection grade having Post Graduate degree qualification recognised under Indian Medical Council Act, 1956.	₹ 2250/- p.m.
2.	General Duty Doctors up to the level of non-functional selection grade having P G Diploma qualification recognised under Indian Medical Council Act, 1956.	₹ 1350/- p.m.

2. The rates of this allowance will further rise by 25 percent each time DA payable on revised pay scales rises by 50 percent. The revised rates of the allowance shall be admissible with effect from 1st July, 2017.

3. The terms & conditions as contained in para 1426 of IREC Vol.II (Sixth Edition – 1987, Second Reprint Edition – 2005), will remain unchanged.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Please acknowledge receipt.

(N.P.Singh)
Jt. Director/Estt.(P&A)
Railway Board.

No. E(P&A)I-2017/ AL-2

New Delhi, dated 28.05.2018

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways

162/18
P/L

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

पीसी-VII सं. 104
आरबीई सं. 75 /2018

सं. ई(पी एण्ड ए)I-2017/एएल-2

नई दिल्ली, दिनांक 24.05.2018

महाप्रबंधक एवं प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.

विषय:स्नातकोत्तर भत्ते से संबंधित सरकार द्वारा स्वीकार की गई सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन।

भत्तों में संशोधन से संबंधित सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति सहर्ष विनिश्चय करते हैं कि चिकित्सा अधिकारियों को निम्नानुसार स्नातकोत्तर भत्ता प्रदान किया जाएगा:

<u>स्नातकोत्तर भत्ता</u>

क्र. सं.	कोटि	संशोधित दर
1.	भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री की योग्यता वाले गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड के स्तर तक रेलवे डॉक्टर।	₹ 2250/- प्रति माह
2.	भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा योग्यता वाले गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड स्तर तक के सामान्य ड्यूटी वाले डॉक्टरों के लिए।	₹ 1350/- प्रति माह

2. संशोधित वेतनमान पर देय महंगाई भत्ते में 50 प्रतिशत तक वृद्धि होने पर इस भत्ते की दर में प्रत्येक बार 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी। भत्ते की संशोधित दरें 1 जुलाई, 2017 से देय होंगी।

3. आईआरईसी वॉल्यूम II (छठा संस्करण - 1987, द्वितीय पुनर्मुद्रण संस्करण, 2005) के पैरा 1426 में यथा निहित निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

5. कृपया पावती दें।

(एन. पी. सिंह)
संयुक्त निदेशक/स्था.(पी एण्ड ए)
रेलवे बोर्ड

PURNA-APPOINTMENT